न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 71/2021 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार
स्व0श्री शेर सिंह यादव,अल्कापुरी–ए, मुरलीपुरा जयपुर–302039 प्र.अ. राजस्व/भू.अभि./एडीएम कोर्ट

GCMS No-2021/175

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.9.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर,तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. राजस्व/भू.अभि./एडीएम कोर्ट की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 1.6.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक एफ. 2(121)सूकाअ/2021/920–26 दिनांक 4.6.2021 से उपजिला कलेक्टर,तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. राजस्व/भू.अभि./एडीएम कोर्ट को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के पत्रांक भू.अ./20/48 दिनांक 19.1.2021 मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में ख0न0 544/1 की तरमीम बाबत जो जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को प्रेषित है पर की गयी कार्यवाही एवं प्राप्त रिपोर्ट मय उक्त पत्र की प्र0 प्रति मय सम्पूर्ण नोट सीट की प्र0 प्रति।
2. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय पत्रांक प.12/विविध/राजस्व/12/6349 दिनांक 30.11.2019 की प्र0 प्रति।
3. यह है कि न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक कोर्ट/प्रा0 पत्र/रैफरेन्स/2020/2008 दिनांक 20.8.2020 एवं सम संख्या 2272 दिनांक 17.9.2020 सम संख्यक 2513 दिनांक 28.9.2020 की पालना में तहसीलदार भू.अ. खण्डार द्वारा अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अपने कार्यालय पत्रांक भू.अ./2020/586 दिनांक 12.10.2020 पर की गयी रैफरेन्स की कार्यवाही तथा प्रार्थिया/परिवादिया श्रीमति राजरानी द्वारा प्रेषित आपत्ति 6.12.2020 बाबत अति0 जिला कलेक्टर निर्णय 6.11.2020 बाबत अपील नोट शीट पर अभी तक की कार्यवाही रैफरेंस/अपील/निर्णय की प्र0प्रति मय परिवाद/आपत्तियॉ उक्त दिनांक 6.12.2020 की प्र0प्रति।
4. यह है कि जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय पत्रांक प.12(11)(8) तुलायन्त्र/राजस्व/2017/4856 दिनांक 4.10.2019 जो एएमई खान विभाग सवाईमाधोपुर को प्रेषित पर एएमई स0मा0 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं कार्यवाही की प्र0प्रति एवं जिला कलेक्टर द्वारा की गयी कार्यवाही ,स्मरण पत्र एवं नोट शीट की प्रति।
5. यह है कि एएमई खान विभाग द्वारा उपजिला कलेक्टर खण्डार को प्रषित पत्रांक सखअ/समा/2019 दिनांक 24.4.2019 एवं समसंख्यक पत्रांक 53 दिनांक 24.5.2019 पर उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा की गयी कार्यवाही एवं प्राप्ति पत्रावली की प्र0प्रति।
6. यह है कि तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एलआर/19/4485 दिनांक 23.9.2019 मय संलग्नक तथा पत्रांक एलआर/19[illegible] दिनांक 7.2.2020 की प्रमाणित प्रति एवं संदभ्र मे प्राप्त तथा [illegible] प्रति एवं दिनांक तथा प्राप्ति रजिस्टर की प्र0 प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, त[illegible] सूचना अधिकारी एवं [illegible]क लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर,तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. राजस्व/भू.अभि./एडीएम कोर्ट द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर,तहसीलदार खण्डार व प्र.अ. राजस्व/भू.अभि./एडीएम कोर्ट को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायीं तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार, उपजिला कलेक्टर खण्डार प्र0अ0, की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिसो की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 715 दिनांक 22.6.2021 से बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा बिन्दु संख्या 3 व 6 की सूचना जरिये पत्रांक 592 दिनांक 24.8.2021 से भिजवायी जा चुकी है। प्र0अ0 भू.अभिलेख द्वारा बिन्दु संख्या 1 के कम में जरिये पत्रांक प. 14/7/3/सूकाअ/ भू.अ./2021/5681 दिनांक 27.9.2021 से कुल 21 पृष्ठों की सूचना तथा बिन्दु संख्या 2 पर वर्णित पत्र राजस्व अनुभाग से जारी नही होने के कारण तथा बिन्दु संख्या 4 पर चाही गयी सूचना एमई खान विभाग से रिपोर्ट प्राप्त नही होने की स्थिति में उक्त दोनो बिन्दुओं की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 1426 दिनांक 10.8.2021 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना के संबंध मे भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना मे से कार्यालय रिकार्ड के अनुसार उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा रिकार्ड मे सूचना उपलब्ध नही होने की स्थिति में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 1.6.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,3,5,6 की सूचना प्रभारी अधिकारी भू.अ./तहसीलदार खण्डार/उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दु संख्या 2 ,3 एवं 4 की सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार संबंधित लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय/अनुभाग मे उपलब्ध बिन्दु संख्या 1,3,5,6 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दुओ की सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को संबंधितो द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:44:57 IST
Reason: SelfAttested